भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.258
मंगलवार, 4 फ़रवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

बहु-राज्य सहकारिता, पर्यावरणीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

†258. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बहु-राज्य सहकारी समितियों के भीतर सतत प्रथाओं, विशेष रूप से पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित, को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है;
(ख) क्या सरकार छोटी बहु-राज्य सहकारी समितियों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ऋण और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार किस प्रकार बहु-राज्य सहकारी समितियों के नेतृत्व और निर्णय लेने वाले ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों और जनसांख्यिकी का निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियां स्वायत्त सहकारी संगठन के रूप में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002और उसके अधीन निर्मित नियमों के साथ पठित समिति के अनुमोदित उपविधियोंके उपबंधों के अधीन बहुराज्य सहकारी समितियां अपना कार्य करती हैं । "समुदाय के प्रति सरोकार"सहकारी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है**,** जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है, जो निम्नलिखित कथन करता है कि:

> 'सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते समय सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा स्वीकृत नीतियों के माध्यम से समुदाय के संवहनीय विकास के लिए कार्य करते हैं ।'

इसके अलावा**,** दिनांक 06.08.2023 को सहकारी समितियों कें केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) कार्यालय के लिए एक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ताकि कार्यकुशलता को बढ़ावा देने**,**सुगम व्यवसाय में वृद्धि तथा कागज-रहित 'हरित'पर्यावरण अनुकूल विनियमन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के साथ सभी इंटरएक्शन और संवाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सके । 'कागज-रहित'कार्यकरण को अधिक सशक्त करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 120A**{**दिनांक 03.08.2023 को अधिसूचित बहुराज्य सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से अंतर्विष्ट} इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में आवेदन**,** दस्तावेजों**,** निरीक्षण रिपोर्टों**,** आदि दाखिल करने का उपबंध करता है ।

(ख): जी हां**,** मान्यवर ।आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के क्रेडिट और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

i. केंद्रीय सरकार द्वारा रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितयों के पुनरुद्धार और विकास के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमकी धारा 63Aके अनुसरण में पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास फंड (CRRDF)स्थापित किया गया है, जो विनिर्दिष्ट करता है कि विगत तीन वित्तीय वर्षों से लाभ में रहने वाली बहुराज्य सहकारी समितियां इस फंड में सालाना एक करोड़ रुपए या ऐसी बहुराज्य सहकारी समितियों के निवल लाभ का एक प्रतिशत, जो भी कम हो, क्रेडिट करेंगी ।

ii. बहुराज्यसहकारीसोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से गैर-मतदान वाले शेयर जारी करने के भी उपबंध किए गए हैं जो बहुराज्य सहकारी समिति के प्रबंधन में मताधिकार, बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या साधारण निकाय की बैठकों में प्रतिभाग करने सहित कोई हित प्रदान नहीं करता है । इससे बहुराज्य सहकारी समितियां अपनी पूंजी आधार में वृद्धि कर सकेंगी ।

(ग): बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीट और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार आरक्षित किया गया है।

*****